Global Water Partnership South Asia
India Water Partnership

Water & Climate Resilience Programme *(WACREP), India*

Climate Change Adaptive Plan
Village Pathari, Datia District, Bundelkhand Region, Madhya Pradesh

Activity No. 3.6.3: *Climate Adaptive Planning, Capacity building and Training Programs*

Development Alternatives
B-32, TARA Crescent, Qutub Institutional Area
New Delhi, India
hbisht@devalt.org; akumar3@devalt.org

India Water Partnership (IWP)
Secretariat- WAPCOS Ltd.
76-C, Sector-18, Institutional Area, Gurgaon - 122015 (Haryana)
Tel. : (91-0124) 2348022 (D); (91-0124) 2399421, Extn : 1404
Email: iwpneer@gmail.com; veena@cwp-india.org Web: www.cwp-india.org
Facebook: India Water Partnership

विषय – सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
अध्याय – 1. गांव की आधारभूत जानकारियां		**1–3**
1.1	**पठारी**	
1.1.1	भौगोलिक अवस्थिति	
1.1.2	फिजीयोग्राफी	
1.1.3	प्रषासकीय एवं जनसांख्किीय विवरण	
1.1.4	मुलभूत सुविधायें	
1.1.5	मिटट्ी का प्रकार एवं टोपोग्राफी	
1.1.6	भू–स्वामीत्व एवं कृषि	
1.2	**काम्हर**	**3–5**
1.2.1	भौगोलिक अवस्थिति	
1.2.2	फिजीयोग्राफी	
1.2.3	प्रषासकिय एवं जनसांखिकीय विवरण	
1.2.4	मुलभूत सुविधायें	
1.2.5	मिटट्ी का प्रकार एवं टोपोग्राफी	
1.2.6	भू–स्वामीत्व एवं कृषि	
अध्याय – 2. पंचायत एवं अन्य सामूदायिक संस्थायें		**6–9**
अध्याय – 3. उपयोग की गई तकनीक एवं विधीयॉ		**10–17**
3.1	वल्नरीबल्टिी असेसमेन्ट	
3.2	विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक	
3.3	पंचायत के स्तर पर कोर ग्रुप का गठन	
3.4	औपचारिक एवं अनौपचारिक बैठक	
3.5	कोरग्रुप सदस्यों का प्रषिक्षण	
3.6	सहभागी ग्रामीण समीक्षा	
3.7	योजना निर्माण	
अध्याय – 4. ग्राम स्तरीय समस्याओं की पहचान, प्राथमीकीकरण एवं योजना निर्माण		**18–42**

अध्याय –1

आधारभूत जानकारीयॉ

1.1 पठारी

1.1.1. भौगोलिक अवस्थिति

ग्राम पठारी दतिया जिले के दतिया जनपद के पठारी पंचायत का एक राजस्व गांव है। जिला एवं जनपद मुख्यालय दतिया से लगभग 22 किलोमीटर की दुरी पर दक्षिण –पष्चिम दिषा मे दतिया –दिनारा रोड से हतलई पहुंच मार्ग पर स्थित है। ग्राम पठारी $25^0$35'59" उत्तरी आक्षांष तथा $078^0$2'54"5 पूर्वी देषान्तर मे अवस्थित है। गांव के उत्तर मे जिगना,दक्षिण मे काम्हर, पूर्व मे सलैया पमार तथा पष्चिम मे हथलई है। पठारी का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 1252.84 हेक्टेयर है।

1.1..2 फिजीयोग्राफी

पठारी माइक्रोवाटरषेड को सर्वे ऑफ इण्डिया के टोपोषीट क्रमांक 55K/6 (1/15000 स्केल) पर निर्दिष्ट किया गया है तथा माइक्रोवाटरषेड का कोड नं0 2c3c5f6 है। गांव के बीच से एक नाला निकलता है जिसमे पानी का बहाव पष्चिम से दक्षिण की ओर है। समुद्र तल से गांव की ऊचाई 261-84 मीटर है। क्षेत्र की वार्षिक औसत वर्षा 834.5 मी.मी है।

1.1.3 प्रषासकीय एवं जनसांखिकीय विवरण

प्रषासकीय दृष्टिकोण से गांव कुल 9 वार्डो मे विभाजीत है। गांव मे निवारत कुल परिवारों की संख्या 221 तथा कुल जनसंख्या 1360 है जिसमे महिलाओं की संख्या 597 (43.89%) तथा पुरूषों की संख्या 763 (56.10%) है। गांव की कुल जनसंख्या मे अनुसूचित जाति की संख्या 467(34.33%),पिछड़ा वर्ग की संख्या 265(19%) तथा अन्य जातियों की संख्या 628 (46%) है। गांव मे निवासरत कुल परिवारों मे से लगभग 58% परिवार गरीबी रेखा के नीचे निवास करते हैं जबकि लगभग 2% परिवार भूमिहीन हैं।

1.1.4 मुलभूत सुविधायें

पेयजल

पठारी गांव मे पेयजल की उपलब्धता हेतु 7 हैण्डपम्प,01 कुऑ तथा नल – जल व्यवस्था है। स्थानीय लोगों से चर्चा करने के अनुसार 4 हैण्डपम्प मे पेयजल की उपलब्धता सालों भर रहती है जबकि 3 हैण्डपम्प तथा कुऑ मे पेयजल की उपलब्धता लगभग 8 महीने तक रहती है। गांव के लोगों के द्वारा आपसी सहयोग से नल–जल व्यवस्था का संचालन किया जाता है।

स्वास्थय

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधा का उपयोग करने के लिए गांव के लोगों को ग्राम पंचायत जिगना जाना पड़ता है जिसकी दुरी गांव से लगभग 6 किलोमीटर है।

बैंक

गांव के 27 परिवारों के द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों मे बचत खाता खुलवाया गया है। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत 123 परिवारों का बैंक मे खाता खुलवाया गया है जिसके माध्यम से उन्हें मजदूरी का भुगतान किया जाता है। बैंक की सुविधा का लाभ लेने के लिए लोगों को दतिया आना पड़ता है जिसकी दुरी गांव से लगभग 22 किलोमीटर है।

बिजली तथा सड़क

वर्तमान मे गांव मे बिजली की सुविधा उपलब्ध है। गांव मे लगभग 169 परिवारों मे बिजली का कनैक्षन है। गांव के बीच से पक्की सड़क निकलती है जो दिनारा से हतलई तक जाती हैं। गांव की अधिकांष गलिया पक्की है।

1.1.5 मिटट्ी का प्रकार एवं टोपोग्राफी

गांव मे उपलब्ध कुल भूमि का मात्र 19% भाग कृषि कार्य हेतु उपयोग किया जाता है तथा लगभग 36% वन भूमि,लगभग 44.69% राजस्व भूमि तथा 0.39% पड़त भूमि के अन्तर्गत आता है। गांव मे कुल उपलब्ध भूमि मे लगभग 56% काली, 30% लैटराईट तथा 16% लाल मिटटी वाली भूमि है। गांव मे उपलब्ध खेतों का ढ़ाल का 1–3% तक है।

1.1.6 कृषि एवं भू–स्वामीत्व

गांव मे निवासरत औसत किसानों के पास 3–4 एकड़ भूमि है। गांव मे उपलब्ध कुल 234.04 हेक्टेयर कृषि भूमि मे से 216.17 हेक्टेयर सिंचित तथा 17.87 हेक्टेयर असिंचित है। गांव मे रहने वाले कुल परिवारों मे से लगभग 98% परिवार किसान है जिसमे से लगभग 37% लधु कृषक, लगभग 28% सीमान्त एवं मध्यम कृषक तथा लगभग 35% बड़े कृषक हैं। 3 एकड़ से कम भूस्वामीत्व वाले किसानों को लधु कृषक, 4– 6 एकड़ भूस्वामीत्व वाले किसानों को सीमान्त कृषक तथा 6 एकड़ से अधिक भू–स्वामीत्व वाले किसानों को बड़े किसानों की श्रेणी मे रखा गया।

कृषि योग्य उपलब्ध कुल भूमि मे से 214-21 हेक्टेयर पर रबी तथा 107.06 हेक्टेयर भूमि पर खरीफ के फसल की पैदावार ली जाती है। किसानों के द्वारा रबी मे गेहूं,सरसो,चना तथा खरीफ मे मक्का,उड़द,मूंग आदि की पैदावार ली जाती है। रबी के फसल की पैदावार अक्टुबर से मार्च तथा खरीफ की पैदावार जुलाई से सितम्बर माह तक ली जाती है। गांव के किसानों के द्वारा रबी के फसल मे सबसे ज्यादा गेहूॅ की खेती तथा खरीफ के फसल मे मुंगफली की खेती की जाती है।

1.1.7 जीविकोपार्जन

पठारी मे निवासत अधिकांष परिवारों के आजीविका का मुख्य साधन कृषि एवं कृषि आधारित मजदूरी है। गांव के 221 परिवारों मे से 216 परिवार खेती किसानी पर आश्रीत हैं। कुछ परिवारों के द्वारा दतिया एवं आस–पास के जिलों मे जाकर अकुषल श्रमिक के रूप मे कार्य किया जाता है।

1.1.8 पशुधन

गांव के प्रायः सभी घरों मे पशुधन है जिनमे अधिकांष देषी नस्ल के हैं। गांव के लोगों के द्वारा पशुधन के रूप मे गाय,भैंस,बैल,बछड़ा एवं बकरी आदि को रखा जाता है। बैल तथा बछड़ा का उपयोग कृषि कार्यों मे खेतों की जुताई के लिए किया जाता है। गाय तथा भैस से प्राप्त दूध का उपयोग गांव के लोगों द्वारा स्वयं किया जाता है तथा कुछ परिवारों के द्वारा दूध की ब्रिकी भी की जाती है तथा उनसे प्राप्त गोबर का उपयोग खाद एवं जलावन हेतु किया जाता है। बकरी गांव के अधिकांष धरों मे उपलब्ध है जिसका मुख्य उददे्ष्य आय – उपार्जन है।

1.2 काम्हर

1.2.1 भौगोलिक अवस्थिति

ग्राम काम्हर दतिया जिले के दतिया जनपद के पठारी पंचायत का एक राजस्व गांव है। काम्हर $78^0$19'38^0 उत्तरी आक्षांष तथा 25035'059" पूर्वी देषान्तर मे अवस्थित है। यह गांव पंचायत मुख्यालय पठारी से लगभग 3 किलोमीटर तथा जिला एवं जनपद मुख्यालय दतिया से 22 किलोमीटर की दुरी पर दक्षिण –पष्चिम दिषा मे दतिया –दिनारा रोड से हतलई पहुंच मार्ग पर स्थित है। काम्हर के उत्तर मे नौनेर,दक्षिण मे पठारी, पूर्व मे पलोथर तथा पष्चिम मे हथलई है। गांव का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 445.45 हेक्टेयर है।

1.2.2 फिजीयोग्राफी

काम्हर माइक्रोवाटरषेड को सर्वे ऑफ इण्डिया के टोपोषीट क्रमांक 55K/6 (1/15000 स्केल) पर निर्दिष्ट किया गया है तथा माइक्रोवाटरषेड का कोड नं0 2c3c5f7 है। काम्हर मे एक नाला निकलता है जिसके पानी का बहाव गांव से दक्षिण दिषा की ओर होता है। समुद्र तल से गांव की ऊचाई 261.84 मीटर है। क्षेत्र की वार्षिक औसत वर्षा 834.5 मी.मी है।

1.2.3 प्रषासकीय एवं जनसांखिकीय विवरण

प्रषासकीय दृष्टिकोण से गांव कुल 5 वार्डो मे विभाजीत है। गांव मे निवारत कुल परिवारों की संख्या 94 तथा कुल जनसंख्या 916 है जिसमे महिलाओं की संख्या 436(47.59%) तथा पुरूषों की संख्या 471(51.41%) है। गांव की कुल जनसंख्या मे अनुसूचित जाति की संख्या 510(55.67%),पिछड़ा वर्ग की संख्या 306(33.40%) तथा सामान्य वर्ग के जातियों की संख्या 109 (11.89%) है। गांव मे निवासरत कुल परिवारों मे से लगभग 47% परिवार गरीबी रेखा के नीचे निवास करते हैं जबकि लगभग 5% परिवार भूमिहीन हैं।

1.2.4 मुलभूत सुविधायें

पेयजल एवं स्वच्छता

ग्राम काम्हर मे पेयजल हेतु 08 हैण्डपम्प तथा समुदाय द्वारा संचालित नल जल व्यवस्था है। 08 हैण्डपम्प मे 05 हैण्डपम्प चालु स्थिति मे है जिससे सालो भर पेयजल की उपलब्धता रहती है तथा नल जल

व्यवस्था के द्वारा 57 परिवारों के पास व्यक्तिगत कनेक्षन है। गांव मे निवासरत लगभग 19% परिवारों के पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध है।

स्वास्थय

गांव के लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधा का उपयोग करने हेतु ग्राम पंचायत नौनेर जाना पड़ता है जिसकी दुरी गांव से लगभग 02 किलोमीटर है। प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र से आस–पास के गांव के लोगों को प्राथमिक उपचार,टीकाकरण आदि किया जाता है।

बैंक

बैंक की सुविधा का लाभ लेने के लिए लोगों को दतिया आना पड़ता है। गांव के अधिकांष परिवारों के द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों मे खता खुलवाया गया है। इसके अलावे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत मजदूरी भुगतान हेतु भी अधिकांष परिवारों का बैंक मे खाता खुलवाया गया है।

बिजली तथा सड़क

गांव के 66 परिवारों के यहां बिजली का कनेक्षन है तथा गांव की गलीयों मे भी प्रकाष की व्यवस्था है। गांव की अधिकांष गलियॉ सी.सी. है जिसका निर्माण पंचायत के द्वारा कराया गया है।

षिक्षा : षिक्षा व्यवस्था के रूप मे गांव मे एक प्राथमिक विधालय तथा एक आंगनबाड़ी केन्द्र है। प्राथमिक विधालय मे लगभग 70 बच्चे पंजीकृत हैं।

1.2.5 मिटट्ी का प्रकार एवं टोपोग्राफी

गांव मे उपलब्ध कुल भूमि का मात्र 85% भाग कृषि कार्य हेतु उपयोग किया जाता है तथा 15% राजस्व भूमि के अन्तर्गत आता है। गांव मे कुल उपलब्ध भूमि मे लगभग 62.52% लाल, 35.33% काली तथा 2.14% लैटराईट मिटटी वाली भूमि है। गांव मे उपलब्ध खेतों का ढ़ाल का 1–3% तक है।

1.2.6 कृषि एवं भू–स्वामीत्व

गांव मे निवासरत औसत किसानों के पास 2–3 एकड़ भूमि है। गांव मे रहने वाले कुल परिवारों मे से लगभग 95% परिवार किसान है जिसमे से लगभग 56% लधु कृषक, लगीाग 30% मध्यम कृषक एवं लगभग 14% बड़े कृषक हैं। 4 एकड़ से कम भूस्वामीत्व वाले किसानों को लधु कृषक, 5– 7 एकड़ भूस्वामीत्व वाले किसानों को सीमान्त कृषक तथा 7 एकड़ से अधिक भू–स्वामीत्व वाले किसानों को बड़े किसानों की श्रेणी मे रखा गया। कृषि योग्य उपलब्ध कुल भूमि मे से 225 हेक्टेयर पर रबी तथा 180 हेक्टेयर भूमि पर खरीफ के फसल की पैदावार ली जाती है। किसानों के द्वारा रबी मे गेहूं,सरसो,चना तथा खरीफ मे मक्का,उड़द,मूंग आदि की पैदावार ली जाती है। रबी के फसल की पैदावार अक्टुबर से मार्च तथा खरीफ की पैदावार जुलाई से सितम्बर माह तक ली जाती है। गांव के किसानों के द्वारा रबी के फसल मे सबसे ज्यादा गेहूॅ की खेती तथा खरीफ के फसल मे मुंगफली की खेती की जाती है।

1.2.7 जीविकोपार्जन

अधिकांष परिवारों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि एवं कृषि आधारित मजदूरी है। गांव के 22 परिवारों के द्वारा दूध का व्यवसाय,18 परिवारों के द्वारा स्वरोजगार ,07 परिवारों के द्वारा परंपरागत व्यवसाय तथा 03 लोगों के द्वारा शासकीय नौकरी की जाती है। इसके अतिरिक्त 02 स्वयं सहायता समूहों के द्वारा दोना पत्तल बनाने तथा 01 समूह की महिलाओं के द्वारा मुर्गीपालन का कार्य किया जाता है।

1.2.8 पशुधन

गांव के प्रायः सभी घरों मे पशुधन के रूप मे गाय,भैंस,बैल,बछड़ा एवं बकरी आदि को रखा जाता है जिनमे से अधिकांष देषी नस्ल के हैं। बैल तथा बछड़ा का उपयोग किसानों के द्वारा कृषि कार्य हेतु किया जाता है। गांव के लोगों से की गई चर्चा के अनुसार जानवरों से प्राप्त गोबर का उपयोग खाद एवं जलावन हेतु किया जाता है। गंव के कुछ परिवारों के द्वारा आय – उपार्जन के उददेष्य से बकरी पालन का भी कार्य किया जाता है।

*****

अध्याय –2

पंचायतीराज एवं अन्य सामूदायिक संस्थायें

ग्राम पठारी एवं काम्हर ग्राम पंचायत पठारी मे अन्तर्गत के अन्तर्गत आता है। समूदाय आधारित संस्थाओं के रूप मे ग्रम पठारी मे 02 स्वयं सहायता समूह तथा 01 जलग्रहण समिति है, जबकि काम्हर मे 05 स्वयं सहायता समूह ,01 जलग्रहण समिति तथा 01 जल एवं स्वच्छता समिति है। ग्राम पठारी के पंचायत प्रतिनिधियों का विवरण तालिका मे निम्नलिखित हैः

तालिका क्रमांक – 1

पंचायत प्रतिनिधियों का विवरण

क्रमांक	सदस्य का नाम	पद	लिंग	वर्ग	शिक्षा
1	श्रीमती सुनीता चौहान	सरपंच	महिला	सामान्य	8 वी
2	श्री लालाराम परिहार	उपसरपंच	पुरूष	सामान्य	5 वी
3	श्रीमती मुन्नी देवी	पंच	महिला	सामान्य	5 वी
4	श्री जयन्द्र सिंह	पंच	पुरूष	सामान्य	8 वी
5	श्री चरण सिंह	पंच	पुरूष	सामान्य	8 वी
6	श्रीमति सुमित्रा जाटव	पंच	महिला	अ.जा.	5 वी
7	श्रीमति आरती अहिरवार	पंच	महिला	अ.जा.	5 वी
8	श्री राजु जाटव	पंच	पुरूष	अ.जा.	5 वी
9	श्री जनवेष पाल	पंच	पुरूष	पि.वर्ग	5 वी
10	श्री षिवराज सिंह	पंच	पुरूष	सामान्य	5 वी
11	श्री दारण सिंह	पंच	पुरूष	सामान्य	5 वी
12	श्री प्रभु जाटव	पंच	पुरूष	अ.जा.	5 वी
13	श्री हरनाम पाल	पंच	पुरूष	पि.वर्ग	5 वी
14	श्री महेष कुषवाहा	पंच	पुरूष	पि.वर्ग	5 वी
15	श्री हुकुम सिंह जाटव	पंच	पुरूष	अ.जा.	5 वी
16	श्री बलवीर पाल	पंच	पुरूष	पि.वर्ग	5 वी
17	श्रीमती सुनीता जाटव	पंच	महिला	अ.जा.	5 वी
18	श्री पुष्पेन्द्र सिंह बुन्देला	पंच	पुरूष	सामान्य	5 वी
19.	श्री भवर सिंह यादव	पंच	पुरूष	पि.वर्ग	5 वी

जलग्रहण समिति : राज्य शासन के सहयोग से डेवलपमेन्ट आल्टरनेटिव्स के द्वारा एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उददेष्य समूदाय आधारित संस्थाओं का गठन.सषक्तिकरण तथा मृदा एवं जल संरक्षण के कार्यों को बढ़ावा देना एवं स्थानीय पर्यावरण को संतुलित करना है। कार्यक्रम के अन्तर्गत जलग्रहण समिति के गठन का मुख्य उददेष्य योजना निर्माण,क्रियान्वयन तथा निगरानी मे समूदाय की भागीदारी को सषक्त करना एवं प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन हेतु जागरूक करना तथा पर्यावरण मे हो रहे बदलावों के प्रति संवेदनषील बनाना है।

कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम पठारी एवं काम्हर मे जलग्रहण समित का गठन किया गया है। ग्राम पठारी मे गठित जलग्रहण समिति मे सदस्यों की कुल संख्या 21 (07 महिला एवं 14 पुरूष) है तथा ग्राम काम्हर मे जलग्रहण समिति मे सदस्यों की कुल संख्या 21 (08 महिला एवं 13 पुरूष) है। ये समितियॉ मध्य प्रदेष सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1973 के अन्तर्गत पंजीकृत है। जलग्रहण समितियों के सदस्यों का विवरण तालिका मे निम्नलिखित है :

तालिका क्रमांक – 2
ग्राम पठारी के जलग्रहण समिति का विवरण

क्रमांक	सदस्य का नाम	पद	लिंग	जाति	शिक्षा
1	श्री षैलेन्द्र नाथ पाण्डेय	टीम लीडर	पुरूष	सामान्य	पी. एच.डी
2	श्री चरण सिंह चौहान	अध्यक्ष	पुरूष	सामान्य	10 वीं
3	श्री लोकेन्द्र परमार	सचिव	पुरूष	सामान्य	बी..ए.
4	श्री अरविन्द सिंह चौहान	सदस्य	पुरूष	सामान्य	5 वीं
5	श्री प्रेम नारायण	सदस्य	पुरूष	अ.जा.	5 वी
6	श्रीमति अंगुरी देवी	सदस्य	महिला	पि.वर्ग	5 वी
7	श्री मोती पाल	सदस्य	पुरूष	पि.वर्ग	निरक्षर
8	श्री गोविन्द प्रजाप्रति	सदस्य	पुरूष	अ.जा.	5 वी
9	श्री साहब सिंह	सदस्य	पुरूष	सामान्य	8 वी
10	श्रीमति पुष्पा देवी	सदस्य	महिला	सामान्य	5 वी
11	श्रीमति सुखदेवी	सदस्य	महिला	सामान्य	8 वी
12	श्रीमति रूबी राजा	सदस्य	महिला	सामान्य	8 वी
13	श्री मुकेष बाल्मिकी	सदस्य	पुरूष	अ.जा.	5 वी
14	श्री बैजनाथ कुषवाहा	सदस्य	पुरूष	पि.वर्ग	5 वी
15	श्री प्रमोद अहिरवार	सदस्य	पुरूष	अ.जा.	8 वी
16	श्री राकेष सेन	सदस्य	पुरूष	अ.जा.	5 वी
17	श्री ढ़ल्लु परिहार	सदस्य	पुरूष	सामान्य	8 वी

18	श्रीमति पिस्ता	सदस्य	महिला	अ.जा.	5 वी
19.	श्रीमति महादेवी	सदस्य	महिला	सामान्य	5 वी
20.	श्रीमति गुडडी देवी	सदस्य	पुरूष	पि.वर्ग	5 वी
21.	श्रीमति आषा परिहार	सदस्य	महिला	सामान्य	5 वी

तालिका क्रमांक – 3
ग्राम काम्हर के जलग्रहण समिति का विवरण

क्रमांक	सदस्य का नाम	पद	लिंग	जति	शिक्षा
1	श्री षैलेन्द्र नाथ पाण्डेय	टीम लीडर	पुरूष	सामान्य	पी. एच.डी
2	श्री अरविन्द सिंह	अध्यक्ष	पुरूष	सामान्य	आई.ए
3	श्री नरेन्द्र सिंह	सचिव	पुरूष	सामान्य	बी..कॉम
4	श्री राधवेन्द्र सिंह	सदस्य	पुरूष	सामान्य	बी.ए.
5	श्री वीरन	सदस्य	पुरूष	पि.वर्ग	5 वी
6	श्री राधे लाल	सदस्य	पुरूष	पि.वर्ग	5 वी
7	श्री बादाम	सदस्य	पुरूष	अ.जा.	5 वी
8	श्री सेवक वंषकार	सदस्य	पुरूष	अ.जा.	8 वी
9	श्री विजयराम कुषवाहा	सदस्य	पुरूष	पि.वर्ग	5 वी
10	श्री किषुन पाल	सदस्य	पुरूष	पि.वर्ग	5 वी
11	श्री काषीराम अहिरवार	सदस्य	पुरूष	अ.जा.	5 वी
12	श्री मनीराम अहिरवार	सदस्य	पुरूष	अ.जा.	5 वी
13	श्रीमति नत्थु वंषकार	सदस्य	महिला	अ.जा.	5 वी
14	श्रीमति जयन्ती कुषवाहा	सदस्य	महिला	पि.वर्ग	5 वी
15	श्रीमति सुनीता प्रजापति	सदस्य	महिला	अ.जा.	5 वी
16	श्रीमति मिथीला अहिरवार	सदस्य	महिला	अ.जा.	5 वी
17	श्रीमति मीरा वंषकार	सदस्य	महिला	अ.जा.	5 वी
18	श्रीमति छोटी राजा परमार	सदस्य	महिला	सामान्य	5 वी
19.	श्रीमति कमला कुषवाहा	सदस्य	महिला	पि.वर्ग	5 वी
20.	श्रीमति राजकुमारी परमार	सदस्य	महिला	सामान्य	5 वी
21.	श्री षिवप्रताप सिंह	सदस्य	पुरूष	पि.वर्ग	5 वी

स्वयं सहायता समूह : जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम पठारी मे 02 तथा काम्हर मे 05 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। इन समूहों के गठन का मुख्य उददे्ष्य महिलाओं को संगठित कर उन्हें विभिन्न आयवर्द्धक गतिविधियों से जोड़ना है। गठित किये गये महिलाओं के स्वयं

सहायता समूहों मे सदस्यों की संख्या 10–10 है। पठारी मे गठित किये गये मॉ शेरावाली एवं जय भवानी मॉ समूह के सदस्यों के द्वारा अगरबत्ती निर्माण तथा काम्हर मे गठित नव चेतना द्वारा दोना पत्तल तथा जल वैष्णों देवी द्वारा मोमबत्ती बनाने का काम किया जाता है। आने वाले अन्य समूहों को बीज बैंक एवं जीविकोपार्जन की अन्य वैकल्पिक गतिविधियों से जोड़ा जाएगा।

अध्याय –3
उपयोग की गई तकनीक/विधियां

विकेन्द्रीकृत जलवायु अनुकूलन कार्ययोजना तैयार करने से पूर्व अलग –अलग स्तर पर विभिन्न हितधारकों के साथ औपचारिक एवं अनौपचारिक बैठकों के माध्यम से व्यवस्थाओं एवं प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास किया गया। पंचायत स्तर पर कार्ययोजना तैयार करने मे विभिन्न पद्वतियों का उपयोग किया गया जो निम्नलिखित है :

2.1 विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक : गांव,पंचायत जनपद एवं जिले के स्तर पर विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक की गई। जनपद एवं जिलास्तरीय बैठक मे शासन द्वारा संचालित योजनाएँ तथा उपलब्ध संसाधनों को समझने की कोषीष की गई। गांव एवं पंचायत के स्तर पर बैठक कर पंचायत द्वारा कार्ययोजना निर्माण की प्रकिया,समय–सीमा तथा उपलब्ध संसाधन पर समझ विकसीत की गई। इसके उपरान्त जिला पंचायत के अधिकारीयों के साथ मिलकर विभिन्न योजनाओं तथा उसके स्वरूप को समझने का प्रयास किया गया जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वातावरण को बेहतर बनाने मे सहयोग प्रदान करते हैं।

2.2 पंचायत के स्तर पर कोर ग्रुप का गठन : पंचायत प्रतिनिधि, जलग्रहण समिती तथा समूदाय के सदस्यों को मिलाकर एक कोर ग्रुप का गठन किया गया। कोर ग्रुप के गठन के निम्नलिखित उददे्ष्य थेः

- जलवायु परिवर्तन से पड़ने वाले प्रभावों को लेकर संवेदनषील करना तथा जलवायु परिवर्तन से पड़ने वाले प्रभावों के न्यूनीकरण तथा अनुकूलन अभ्यासों को अपनाने हेतु जागरूक करना।
- स्थानीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन से पड़ने वाले प्रभावों तथा उसके समाधान के तरीको पर नियमीत रूप से चर्चा करना।

2.3 औपचारिक एवं अनौपचारिक बैठक : कोरग्रुप का गठन हो जाने के उपरान्त कोरग्रुप के सदस्यों के साथ औपचारिक एवं अनौपचारिक बैठकों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से संबंधित विभिन्न मुददों

तथा उससे पड़ने वाले प्रभावों तथा समाधान के तरीकों को लेकर क्षमता वृद्वि की गई। कोर ग्रुप सदस्यों के द्वारा स्थानीय किसानों के साथ बैठक कर उनके साथ जलवायु परिवर्तन,इससे पड़ने वाले प्रभावों तथा प्रभाव को कम करने वाले तरीकों को लेकर चर्चा की गई।

2.4 कोरग्रुप सदस्यों का प्रषिक्षण :

कोर ग्रुप का गठन हो जाने के उपरान्त सदस्यों का जलवायु परिवर्तन तथा इससे पड़ने वाले प्रभावों एवं विकेन्द्रीकृत नियोजन एवं विभिन्न शासकीय योजनाओं के साथ उनके जुड़ाव को लेकर प्रषिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रषिक्षण के माध्यम से कोर ग्रुप सदस्यों का क्षमता वृद्वि करने का मुख्य उददे्ष्य उन्हें जलवायु परिवर्तन, इसके प्रभाव तथा प्रभाव को कम करने के तरीकों को लेकर जागरूक करना था जिससे वो गांव के स्तर पर इन समस्याओं तथा उसके समाधान को लेकर चर्चा कर सकें तथा पंचायत के द्वारा तैयार की जाने वाली कार्ययोजना के साथ उन्हें जोड़ सकें।

2.5 सहभागी ग्रामीण समीक्षा : जलवायु अनुकूलन कार्ययोजना तैयार करने से पूर्व स्थानीय स्थितीयों को समझने हेतु पी.आर.ए. की विभिन्न पद्वतियों का उपयोग किया गया जो निम्नलिखित हैः

- सामाजिक मानचित्र
- संसाधन मानचित्र
- ऋतु आधारित चित्रण
- सेवा सुविधा मानचित्र
- चपाती चित्रण

2.5.1 सामाजिक मानचित्र

स्थानीय समूदाय की भागीदारी से गांव का मानचित्र तैयार किया गया। मानचित्र के माध्यम से गांव की बसाहट,कच्ची–पक्की सड़के, धरों का प्रकार, मन्दिर, चौपाल, स्कूल, दुकान, स्वास्थय केन्द्र आदि को रंखंकित किया गया। पठारी गांव 10 मोहल्लो (दिवाला,गढीपुर,पटठापुरा,पुखरिया,

कालीपुरा,खरौआपुरा, होलीपुरा,पाल मोहल्ला आदि) मे बंटा हुआ है तथा सभी मोहल्ले मे सभी जातिवर्ग के लोग निवास करते हैं। गांव मे मुख्य रूप से यादव, कुषवाहा, पंडीत, वंषकार, बढ़ई, ढ़ीमर, प्रजापति आदि जाति के लोग निवास करते हैं। गांव की अधिकांष गलियॉ सी.सी. है। दोनो गांव मे लोगों के क्षरा खुले मे कुड़ा फेका जाता है।

सामाजिक मानचित्र के आधार पर ग्राम काम्हर कुल 6 मोहल्लों मे बॅटा हुआ है, लेकिन सभी जाति वर्ग के लोग सभी मोहल्ले मे रहते हैं। गांव मे निवासरत अधिकांष परिवारों का धर कच्चा है। पंचायत के द्वारा गांव की अधिकांष गलियों मे सी.सी.सड़क का निर्माण कराया गया है, लेकिन गांव के लोगों के द्वारा धर से निकलने वाले बेकार पानी को सड़क पर हीं बहाया जाता है। मानचित्र बनाने की प्रकिया के दौरान या अवलोकित किया गया कि पूर्व मे जल संरक्षण एवं स्वच्छता के मुददे् पर कार्य किया गया था। इसके अन्तर्गत अधिकांष परिवारों मे सोख्ता गढ़ढ़ों का निर्माण किया गया था जिससे साफ–सफाई बनी रहे,लेकिन देखरेख के अभाव मे अधिकांष सोख्ता गढ़ढे़ बेकार पड़े हैं।

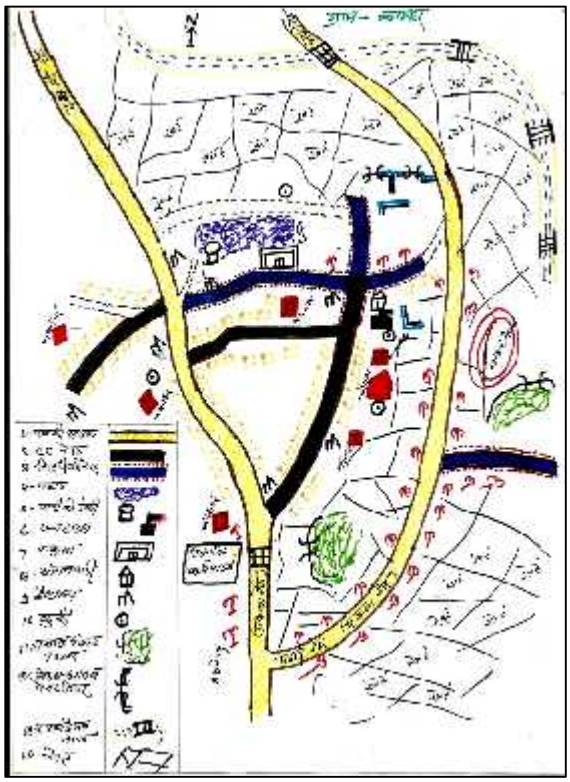

मानचित्रण की प्रकिया के दौरान अवलोकित किया गया कि गांव की सामाजिक संरचना एवं पंचायत द्वारा कियान्वित की जा रही शासकीय योजनाओं को लेकर महिलाओं के बीच जानकारी का अभाव है।

2.5.2 संसाधन मानचित्र :– इस अभ्यास के माध्यम से गांव में उपलब्ध संसाधनों को समझनें का प्रयास किया गया। अभ्यास के दौरान गांव के लोगों के द्वारा बताया गया कि खेती–किसानी हेतु उपलब्ध भूमि के मिटटी का प्रकार लेटेराइट, काली एवं लाल है। जल संसाधन के रूप मे पठारी मे 03 स्टॉप डेम, 02 बेस्ट बियर, 01 खेत तालाब तथा किसानों के खेतों पर 4 बोरबेल तथा कुयें हैं।इनका उपयोग किसानों द्वारा सिंचाई हेतु किया जाता है। इसके अतिरिक्त जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत 13 किसानों के जमीन पर 2300 रनींग मीटर मेड़ बंधान का कार्य किया गया है। गांव के लोगों से किये गये चर्चा के अनुसार लगभग 85% कुओं मे पानी की उपलब्धता वर्ष मे मात्र 8 महीने तक रहती है जबकि शेष 15% प्रतिषत कुओं मे पानी की उपलब्धता सालोभर रहती है। गांव के लोगों के अनुसार जिन कुओं मे पानी की उपलब्धता 8 महीने तक रहती है उनमे बारीश के दिनों मे पानी अधिकतम 8–10 फीट तथा उसके बाद 6–7 फीट तक रह पाती है।

कास्हर मे जल संसाधन के रूप मे कुल 36 कुयें, 3 तालाब,03 चेकडेम,03 खेत तालाब,03 बेस्ट बियर हैं जिनका उपयोग किसानों के द्वारा सिंचाई हेतु किया जाता है। कुओं का निर्माण किसानों के द्वारा खेतों पर किया गया है। 36 कुओं मे से लगभग 80% कुओं मे पानी की उपलब्धता वर्ष मे मात्र 8 महीने तक रहती है जबकि शेष 20% प्रतिषत कुओं मे पानी की उपलब्धता सालोभर रहती है। गांव के लोगों के अनुसार जिन कुओं मे पानी की उपलब्धता 8 महीने तक रहती है उनमे बारीश के दिनों मे पानी अधिकतम 12–15 फीट तथा उसके बाद 8–9 फीट तक रह पाती है। कुछ किसानों की भूमि पर मेड़ बंधान का कार्य कराया गया है। चर्चा के दौरान गांव के लोगों के

द्वारा पर्यावरण में हो रहे बदलावों के कारण खेती–किसानी के कार्यो में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा फसल की उत्पादकता प्रभावित हो रही है।

2.5.3 ऋतु आधारित चित्रण :– इस अभ्यास के माध्यम से ऋतु आधारत प्रक्रियाएं जैसे सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता, रबी एवं खरीफ में ली जाने वाली फसलें, पेयजल की उपलब्धता, विभिन्न मौसमों में मनुष्यों एवं पशुओं में बीमारियों एवं पलायन आदि की स्थिति को लेकर चर्चा की गई।

फसल उत्पादन :– किसानों से की गई चर्चा के अनुसार रबी में गेंहू, चना एवं सरसों तथा खरीफ में मूंगफली एवं उड़द की पैदावार की जाती हैं। खरीफ की फसल लेने के उपरान्त 90 प्रतिशत किसानों के द्वारा खेत को खाली छोड़ दिया जाता है। किसानों का कहना था कि सिंचाई हेतु पानी के अभाव में खरीफ एवं रबी के मध्य किसानों के द्वारा खेतों से किसी भी प्रकार की पैदावार नहीं ली जाती है। गांव के अधिकांश किसानों के द्वारा परंपरागत पद्धति से खेती–किसानी का कार्य किया जाता है। किसानों से की गई चर्चा के अनुसार सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता वर्ष में 3–9 महीने तक रह पाती है।

ईधन एवं चारे की उपलब्धता :– ईधन के रूप में गोबर के कण्डे तथा लकडी का उपयोग किया जाता है। ईधन हेतु लकड़ियॉ महिलाओं के द्वारा आस–पास के गांव के जंगल से इकट्ठा किया जाता है। दिन–प्रतिदिन वृक्षों के कटाव के कारण ईधन हेतु लकड़ी इकट्ठा करने में महिलाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जानवरों हेतु हरे चारे की उपलब्धता अगस्त से सितम्बर तथा जनवरी एवं फरवरी माह तक रहती है। इसके उपरांत जानवरों हेतु चारे के रूप में भूसा आदि का उपयोग किया जाता है। अप्रैल से जुलाई माह तक जानवरों चरने हेतु खुला छोड़ दिया जाता है। गांव के लोगों से चर्चा करने के अनुसार अधिकांश परिवारों के पास देशी नस्ल के जानवर है। अतः जानवरों के नस्ल सुधार पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे उन्हें एक उत्पादक परिसंपत्ति के रूप में तैयार किया जा सके। जीविकोपार्जन की वैकल्पिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकेगा तथा जलवायु में हो रहे परिवर्तन के फलस्वरूप खेती–किसानी में हो रहे नुकसानों की भरपाई की जा सकेगी।

बिमारीयॉ : वातावरण में हो रहे बदलाव के कारण सर्दी, बुखार, मलेरिया, आदि बीमारियों का सामना करना पड़ता है। किसानों का कहना था कि इस साल बारीश कम होने के कारण लोगों की जलजनित बीमारियां जैसे :– उल्टी, दस्त आदि का भी सामना करना पड़ा है। जानवरों में आमतौर पर बरसात में खुरपका तथा मुंहपका तथा नवम्बर एवं दिसम्बर माह में गलघोटूं की बीमारी का सामना करना पड़ता है। मौसम में हो रहे बदलाव के कारण जानवरों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकुल प्रभाव पड़ रहा है।

रोजगार एवं पलायन :– गांव के लोगों से चर्चा करने के अनुसार लगभग 20 परिवारों के द्वारा दतिया एवं आस–पास के गांवों में जाकर राजमिस्त्री का काम तथा लगभग 15 परिवारों के द्वारा दतिया जाकर अकुशल श्रमिक के रूप में मजदूरी की जाती है। मजदूरों से चर्चा करने के अनुसार साल में 8–9 महीने रोजगार दतिया एवं आस–पास के गांवों में मिल जाता है। जबकि बाकी दिनों में जीविकोपार्जन हेतु रोजगार की तलाश में आस–पास के जिले में जाते हैं।

2.5.4 सेवा सुविधा मानचित्र

पठारी मे आंगनबाड़ी केन्द्र तथा प्राथमिक एवं मध्य विधालय तथा पंचायत मुख्यालय की सुविधा उपलब्ध है तथा उचित मूल्य की दुकान की सुविधा का लाभ लेने हेतु काम्हर जाना पड़ता है जिसकी दुरी गांव से लगभग 3 किलोमीटर है।

जबकि काम्हर आंगनबाड़ी केन्द्र तथा प्राथमिक विधालय की सुविधा काम्हर मे उपलब्ध है। प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र,उच्च विधालय तथा डाकधर की सुविधा का उपयोग करने हेतु पठारी तथा काम्हर के लोगों को नौनेर जाना पड़ता है जो गांव से लगभग 4 एवं 3 किलोमीटर है जबकि प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र एवं पुलीस थाना का लाभ लेने हेतु जिगना जाना पड़ता है जो गांव से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

बैंक, तहसील कार्यालय, पशु चिकित्सालय, हाट बाजार तथा बस स्टैण्ड आदि सेवा का उपयोग करने के लिए गांव के लोगों को जिला मुख्यालय दतिया आना पड़ता है जिसकी दुरी पठारी से लगभग 22 किलोमीटर है।

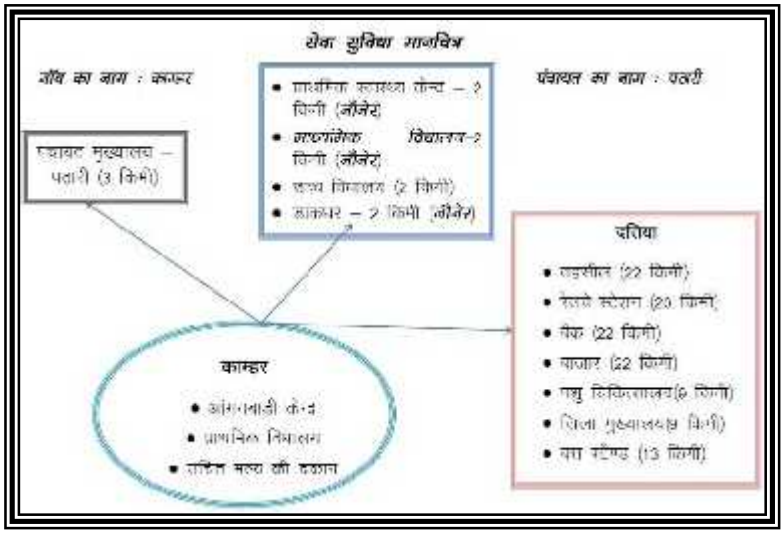

2.5.5 चपाती चित्रण

चपाती चित्रण अभ्यास द्वारा गांव मे उपलब्ध सामूदायिक संस्थाओं तथा अन्य संस्थानों का गांव के साथ जुड़ाव को समझने का प्रयास किया गया। इस प्रक्रिया मे ग्रामीण पेयजल समिति,स्वयं सहायता समूह,जलग्रहण समिति ,पंचायत, विधालय तथा आंगनबाड़ी के साथ जुड़ाव तथा उसके कारण को समझा गया। स्थानीय लोगों के अनुसार जलग्रहण समिति के साथ गांव के लोगों का संबंध बहुत हीं अच्छा है जिसके पीछे गांव के लोगों के द्वारा यह तर्क दिया गया कि समिति के द्वारा किसानों के मुददे् पर कार्य किय जा रहा है। इसके उपरान्त स्वयं सहायता समूह के साथ गांव के लोगों का संबंध बहुत ही अच्छा है क्योंकि गांव के अधिकांष परिवार की महिलायें समूह के सदस्य हैं। गांव के लोगों का कहना था कि विधालय मे षिक्षकों द्वारा बच्चों को ज्ञान दिया जाता है तथा किसी प्रकार की समस्या आने पर गांव के लोगों को सलाह भी दिया जाता है। पेयजल समिति के साथ भी गांव के लोगों के संबंध बहुत हीं अच्छें है। पंचायत की व्यवस्था के प्रति गांव के लोगों मे थेड़ी असंतोष है,लोगों का कहना है कि पंचायत सचिव गांव मे बहुत हीं कम आते हें तथा गांव के लोगों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना भी नही जाता है। पंचायत के प्रति कुछ लोगों का कहना था कि पंचायत के गांव मे विकास के कार्य भी कराये जाते हैं। आंगनबाड़ी के साथ गांव के लोगों का संबंध बहुत ही अच्छा है। गांव के लोगों का कहना है कि आंगनबाड़ी केन्द्र से बच्चों को समय से तथा उचित मात्रा मे पोषण आहार प्रदान किया जाता है तथा गर्भवती महिलाओं को पुरक पोषण आहार के साथ – साथ टीका भी लगाया जाता है। पेयजल समिति के सदस्यों द्वारा गांव के परिवारों को पेयजल मुहैया कराया जाता है तथा किसी प्रकार की समस्या आने पर गांव के लोगों को मदद भी किया जाता है।

2.6. योजना निर्माण :

विभीन्न अभ्यासों के माध्यम से आंकड़ों का संग्रहण करने के उपरान्त गांव के लोगों के साथ मिलकर जलवायु अनुकूल सूक्ष्मस्तरीय योजना तैयार की गई।

योजना निर्माण की प्रक्रिया मे जिला पंचायत दतिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी , पंचायत प्रतिनिधियों,जलग्रहण समिति के सदस्यों, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों तथा किसानों ने भाग लिया। योजन निर्माण की प्रक्रिया मे अलग – अलग समूदाय के सदस्यों के साथ औपचारिक एवं अनौपचारिक बैठकों के माध्यम से भी मुददों की पहचान तथा उसके समाधान के तरीकों को लेकर बात–चीत की गई।

⁂ ⁂ ⁂

अध्याय –4
ग्राम स्तरीय समस्याओं की पहचान, प्राथमीकीकरण एवं योजना निर्माण

1.1 समस्याओं की पहचान :

पंचायत प्रतिनिधियों एवं कोर ग्रुप सदस्यों की उपस्थिति में गॉव की समस्याओं की पहचान की गई। चर्चा के दौरान गांव के लोगों के द्वारा चिन्हीत किये जा रहे मुदद्ों का समूदाय के साथ मिलकर उसका विषलेषण किया गया। चर्चा के दौरान समुदाय की ओर से निम्नलिखित समस्याएं निकल कर सामने आईः

ग्राम – काम्हर

- ❖ सिचाई हेतु पर्याप्त साधनों का अभाव।
- ❖ खेतों से मिटट्ी का कटाव
- ❖ नियीमत रूप से खेतों की उर्वरा शक्ति का कम होना।
- ❖ रासायनिक उर्वरकों का प्रचुर मात्रा मे उपयोग।
- ❖ खेती हेतु उत्तम किस्म के बीजों का अभाव।
- ❖ रबी फसल के बचे हुए भागों को खेतों मे जलाना।
- ❖ पषुधन मे नियीमत रूप से कमी।
- ❖ खूले मे शौच करना।
- ❖ जल निकासी हेतु नालियों का अभाव।
- ❖ कचड़े को खुले मे डालना।
- ❖ पेड़ – पौधों की संख्या मे नियीमत रूप से हो रही कमी।
- ❖ स्थानीय स्तर पर रोजगार के वैकल्पिक साधनों का अभाव।
- ❖ भूजल का बढ़ता हुआ दबाब
- ❖ सी.सी. सड़क का निर्माण
- ❖ सामूदायिक भवन का निर्माण
- ❖ प्राथमिक विधालय मे बाऊण्ड्री वॉल का निर्माण।
- ❖ पहाड़ी पर कन्टूर ट्रेन्च,सी.पी.टी एवं पौधारोपण

ग्राम – पठारी

- ❖ खेतों से मिटट्ी का बह जाना ।
- ❖ सिचाई के साधनों का अभाव।
- ❖ कुओं मे सालो भर पानी का उपलब्ध नहीं रहना।
- ❖ खेती करने के आधुनिक तकनीको की जानकारी का न होगा।
- ❖ गांव की गलीयों से जल निकासी हेतु नालियों का अभाव।
- ❖ कचड़े को खुले मे डालना।
- ❖ खूले मे शौच करना।
- ❖ पेड़ – पौधों की संख्या मे नियीमत रूप से हो रही कमी।
- ❖ गांव मे रोजगार के वैकल्पिक साधनों का अभाव।
- ❖ फसलों के उत्पादन मे विविधीकरण नही होना।
- ❖ हैण्डपम्प के पानी की गुणवत्ता मे गिरावट ।
- ❖ रासायनिक खादों का ज्यादा मात्रा मे उपयोग ।
- ❖ भूजल स्तर मे कमी।

2 पहचान की गई समस्याओं का कलस्टरीकरण :

सूक्ष्मस्तरीय नियोजन की प्रकिया के दौरान चिन्हीत किये गये मुददों का समूदाय के साथ मिलकर कलस्टीकरण किया गया। चिन्हीत की गई समस्याओं को कृषि,प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन (जल,जंगल एवं जमीन),कृषि,स्वच्छता एवं अन्य मुददों मे विभाजीत किया गया। इसके उपरान्त स्थानीय समूदाय के सहयोग से कलस्टरों का प्राथमिकीकरण किया गया। प्राथमिकता के आधार पर समस्याएं निम्नलिखित है–

ग्राम – काम्हर

क्रम संख्या	कलस्टर	मुददे	प्राथमिकीकरण के लिए गांव वालों के द्वारा दिए गए तर्क
1	**प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन**	• खेतों से मृदा –क्षरण • पेड़ – पौधों की संख्या मे नियीमत रूप से हो रही कमी। • भूजल का बढ़ता हुआ दबाब	इस कलस्टर मे खेतों का मृदा क्षरण, पेड़ –पौधों की संख्या मे हो रही कमी तथा भूजल स्तर पर बढ़ता दबाव को शामिल किया गया। जिसके पीछे लोगों के द्वारा तर्क दिया गया कि जन–जीवन से जुड़ी हुई है तथा लोगों के जीविकोपार्जन को भी प्रभावित करती है।

2	**कृषि**	• खेती हेतु उत्तम किस्म के बीजों का अभाव। • नियीमत रूप से खेतों की उर्वरा शक्ति का कम होना। • रासायनिक उर्वरकों का प्रचुर मात्रा मे उपयोग। • सिचाई हेतु पर्याप्त साधनों का अभाव।	इस कलस्टर मे अच्छे किस्म के बीज का अभाव, खेतों की उर्वरा शक्ति का कम होना,रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग तथा फसल के अवषेषों को खेतों मे जलाना आदि समस्याओं का शामिल किया गया। प्राथमिकीकरण की प्रक्रिया मे इस कलस्टर को दुसरे स्थान पर रखने के पीछे लोगों के द्वारा तर्क दिया गया कि ये मुददे् खेती–किसानी से जुड़े हुए हैं जो लोगों के जीवन का मूल आधार है।
3	**स्वच्छता**	• खूले मे शौच करना। • जल निकासी हेतु नालियों का अभाव। • कचड़े को खुले मे डालना।	इस कलस्टर मे खुले मे शौच करना,जल निकासी हेतु नालियों का अभाव तथा कचड़े का डालने की समस्या को रखा गया। गांव के लोगों के द्वारा यह तर्क दिया गया कि ये समस्याये कहीं न कहीं लोगों के स्वास्थय को प्रभवित करने के साथ – साथ पर्यावरण को भी प्रभावित कर रहा है।
4	**जीविकापार्जन**	• पषुओं का नस्ल सुधार। • लोगों को विभीन्न आयवर्धक गतिविधियों से जोड़ना।	इस कलस्टर मे देषी किस्म के पशुओं का नस्ल सुधार तथा लोगों को विभिन्न आयवर्धक गतिविधियों से जोड़ने के मुददे् को शामिल किया गया। गांव के लोगों के द्वारा यह तर्क किया गया कि गांव के लोगों के द्वारा पषुओं को खुले मे छोड़ दिया जाता है। इनके नस्ल सुधार से पषुओं को उत्पादक संसाधन के रूप मे विकसीत किया जा सकता है जो स्थानीय लोगों के जीविकोपर्जन के वैकल्पिक स्त्रोतों को सषक्त करेगा।
5	**अन्य मुददें**	• सी.सी. सड़क का निर्माण • सामूदायिक भवन का निर्माण	प्राथमिकीकरण की प्रक्रिया के दौरान लोगों के द्वारा गांव की विभीन्न गलीयों मे सी.सी. सड़क का निर्माण, सामूदायिक भवन का निर्माण तथा प्राथमिक विधालय मे बाऊण्ड्री

		• प्राथमिक विधालय मे बाऊण्ड्री वॉल का निर्माण।	वॉल का निर्माण को अन्य मुददों मे रखा गया। गांव के लोगों के द्वारा यह तर्क दिया गया कि ये समस्यायें भी गांव के विकास से संबंधित है अतः इन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

ग्राम – पठारी

कम संख्या	कलस्टर	मुददे	प्राथमिकीकरण के लिए गांव वालों के द्वारा दिए गए तर्क
1	**प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन**	• हैण्डपम्प के पानी की गुणवत्ता मे गिरावट • खेतों से मिटट्री का कटाव । • पेड़ – पौधों की संख्या मे नियीमत रूप से हो रही कमी। • भूजल स्तर का कम होना।	हैण्डपम्प की पानी की गुणवत्ता मे गिरावट, खेतों से मिटटी का कटाव, पेड़ –पौधों की संख्या मे हो रही नियमीत रूप से कमी तथा भूजल स्तर का कम होना जैसे समस्यायों को इस कलस्टर मे षामिल किया गया। इन समस्याओं को पहले सीान पर रखने के लोगों के द्वारा यह तर्क दिया गया कि ये समस्याये प्रत्यक्ष रूप से जन–जीवन को प्रभावित करती है।
2	**कृषि**	• सिचाई के साधनों की कमी । • कुओं मे सालो भर पानी का उपलब्ध नहीं रहना। • फसलों के विविधीकरण को अभाव। • खेती करने के आधुनिक तकनीको की जानकारी का न होगा।	इस कलस्टर मे सिचाई के साधनों की कमी, कुओं मे सिचाई हेतु पानी की अनुउपलब्धता, खेतों की उत्पादकता कम होना, किसानों के द्वारा एक हीं खेत मे लम्बे समय तक एक हीं फसल लेना तथा खेती करने की परंपरागत पद्धति का उपयोग तथा अच्छे किस्म के बीज का अभाव आदि समस्याओं का ॉामिल किया गया। प्राथमिकीकरण की प्रक्रिया के दौरान इन समस्याओं को दुसरे स्थान पर रखने के पीछे लोगों का तर्क था कि ये समस्यायें खेती–किसानी से संबंधित हैं जो अधिकांष परिवारों के रोजी–रोटी का मुख्य साधन है।

		• खेती हेतु उत्तम किस्म के बीजों का अभाव।	
3	**जीविकोपार्जन**	• पषुओं का नस्ल सुधार तथा लोगों की जीविकोपार्जन की वैकल्पिक गतिविधीयों से जोड़ना।	प्राथमिकीकरण की प्रक्रिया के दौरान लोगों के द्वारा देषी किस्म के पषुओं का नस्ल सुधार तथा लोगों को विभिन्न आयवर्धक गतिविधियों से जोड़ने के मुददे् को जीविकोपार्जन कलस्टर मे शामिल की तीसरे स्थान पर रखा गया। गांव के लोगों के द्वारा यह तर्क किया गया कि गांव के लोगों के द्वारा पषुओं को खुले मे छोड़ दिया जाता है। इनके नस्ल सुधार से पषुओं को उत्पादक संसाधन के रूप मे विकसीत किया जा सकता है जो जीविकोपार्जन के वैकल्पिक स्त्रोतों को सषक्त करेगा तथा मौसम मे असमय हो रहे परिवर्तन से खेती–किसानी की प्रक्रिया मे होने वाले जोखित को भी कम कर सकेगा।
4	**स्वच्छता**	• खूले मे ॉौच करना। • कचड़े को खुले मे डालना। • गांव की गलीयों से जल निकासी हेतु नालियों का अभाव।	खुले मे ॉौच करना, कचड़े को खुले मे डालना तथा जल निकासी हेतु नालियों का अभाव की समस्या को इस कलस्टर मे रखा गया। गांव के लोगों के द्वारा यह तर्क दिया गया कि इस तरह की समस्यायें स्वास्थय को प्रभवित करने के साथ – साथ पर्यावरण को भी हानि पहुचाता है।
5	**अन्य मुददे**	• सी.सी. रोड का निर्माण • माध्यमिक विधालय मे बाऊण्ड्रीकरण।	प्राथमिकीकरण की प्रक्रिया के दौरान लोगों के द्वारा गांव की विभीन्न गलीयों मे सी.सी.सड़क का निर्माण तथा माध्यमिक विधालय मे बाऊण्ड्री वॉल का निर्माण को अन्य मुददों मे रखा गया। जिसके पीछे तर्क यह दिया गया कि इन समस्यायों का समाधान भी गांव के विकास के लिए आवष्यक है।

प्राकृतिक संसाधन (जल,जंगल एवं जमीन)

जल संसाधन के रूप मे पठारी मे लगभग 96 कुयें, 03 स्टॉप डेम, 02 बेस्ट बियर, 01 खेत तालाब तथा 4 बोरबेल हैं। गांव के कुल क्षेत्रफल 45.64% राजस्व भूमि, 40. 86% वन भूमि, 19% कृषि भूमि (92.36% सिंचित तथा 7.63% असिचिंत) तथा 0.39% पड़त भूमि है। है। गांव मे उपलब्ध मिटट्री मे 56% काली, 30% लैटेराईट तथा 14% लाल मिटट्री है तथा भूमि का ढ़ाल 1–3% के बीच है।

पठारी	
भूमि का उपयोग	रकबा (हेक्टेयर मे)
भौगोलिक क्षेत्रफल	1252.84
कृषि भूमि	234.04
सिंचित भूमि	216.17
असिंचित भूमि	17.87
वन भूमि	511.92
राजस्व भूमि	571.92

काम्हर मे जल संसाधन के रूप मे कुल 36 कुयें, 3 तालाब,03 चेकडेम,03 खेत तालाब,03 बेस्ट बियर हैं जिनका उपयोग किसानों के द्वारा सिंचाई हेतु किया जाता है। गांव के कुल क्षेत्रफल लगभग 65% कृषि भूमि (56% सिंचित तथा 44% असिचिंत) एवं 15%राजस्व भूमि है। गॉव मे उपलब्ध मिटट्री मे 62.52% लैटेराईट, जिसकी अधिकता सिचिंत भूमि मे है तथा जिसकी ढ़ाल 1–2 % , 35.33% काली मिटट्री है जिसकी अधिकता वन भूमि के आस –पास है तथा जिसकी ढ़ाल लगभग 2–3 % तथा 2.14% लाल मिटट्री है जिसकी अधिकता बसाहट क्षेत्र के आस –पास है तथा जिसकी ढ़ाल लगभग 1 % है।

इसके अतिरिक्त खेतों से मिटट्री के कटाव को रोकने हेतु कुछ किसानों के खेतों पर मेड़ बंधान का कार्य भी किया गया है। नियमीत रूप से बारीष के दिनों मे हो रही कमी भू–जल स्तर मे गिरावट एक प्रमुख समस्या बनती जा रही है जिसके फलस्वरूप पेयजल एवं सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता पर भी असर पड़ रहा है तथा जल जनीत बिमारीयों का भी सामना करना पड़ रहा है। बारीष के पानी के तेज बहाव के कारण खेतों से मिटट्री का कटाव जिसके फलस्वरूप खेतों की मिटट्री की गहराई का कम होना एक गंभीर समस्या बनती जा रही है जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से खेतों की उत्पादकता पर असर डालने के साथ–साथ जीविकोपार्जन को भी प्रभावित कर रहा है। शासकीय एवं निजी भूमि पर पेड़–पौधों की अंधाधुंध कटाई भी एक प्रमुख समस्या के रूप मे सामने आ रही है। ये सभी परिस्थितियॉ मौसम मे हो रहे असमय बदलावों से पड़ने वाले प्रभावों की विभीषकता को बढ़ापे मे प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं।

काम्हर	
भूमि का उपयोग	रकबा (हेक्टेयर मे)
भौगोलिक क्षेत्रफल	445.45
कृषि भूमि	289.26
सिंचित भूमि	161.91
असिंचित भूमि	127.35
राजस्व भूमि	66.0

चर्चा के दौरान गांव के लोगों के द्वारा कहा गया कि इन समस्यायों पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देने की आवष्यक्ता है। किसानों के द्वारा कहा गया कि इन मुदद्ों पर एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा है लेकिन जलवायु परिवर्तन से पड़ने वाले प्रभावों को कम करने हेतु और भी सकेन्द्रित प्रयास करने की आवष्यक्ता है। चर्चा के दौरान कहा गया कि अधिक से अधिक किसानों के खेतों पर मेड़ बंधान का कार्य किया जाना चाहिए जिससे खेतों से मिटट्ी के कटाव को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त गांव से बहकर जाने वाली बारीष के पानी को रोकने हेतु अधिक से अधिक जल संरक्षण एवं संवर्धन संरचनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे भू–जल स्तर मे वृद्वि होगी तथा खेतों मे नमी बनी रहेगी। चर्चा के दौरान निम्नलिखित बिन्दू सामने आये :

क्रम संख्या	क्षेत्र	मुददे्	उपाय
1.	जमीन	❖ खेत ढ़ालु होने के कारण खेतों से मिटट्ी का कटाव। ❖ खेतों की उपजाऊ शक्ति का कम होना। ❖ किसानों के द्वारा रासायनिक खादों का अत्यधिक उपयोग करने से मिटट्ी मे कार्बनिक तत्वों की कमी।	❖ खेतों पर मेड़ बंधान एवं कृषि –वानिकी को बढ़ावा देना। ❖ मिटट्ी की उर्वरा शक्ति, जलधारण क्षमता एवं कार्बनिक तत्वों को बढ़ाने हेतु जैविक खाद का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने हेतु किसानों को जागरूक करना। ❖ हरी खाद का प्रयोग करने हेतु किसानों को जागरूक करना।
2.	जल	❖ सिचाईं के लिए पर्याप्त पानी का अभाव। ❖ जल प्रबंधन को लेकर जागरूकता का अभाव। ❖ खेत गांव से दुर होने के कारण सिंचाई की परंपरागत पद्धतियों का उपयोग।	❖ जल संरक्षण एवं जल संवर्धन की संरचनाओं का निर्माण तथा परंपरागत गतिविधियों को बढ़ावा देना। ❖ खेतों पर फार्म पौण्ड का निर्माण करना। ❖ जल प्रबंधन के तकनीको को लेकर किसानों को जागरूक करना।
3	जंगल	❖ पेड़–पौधों की कटाई। ❖ वृक्षारोपण को लेकर जागरूकता का अभाव।	❖ विभिन्न योजनाओं के माध्यम से षासकीय एवं निजी भूमि पर वृक्षारोपण कार्य हेतु स्थानीय लोगों को जागरूक करना। ❖ खेतों के मेड़ों पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना।

प्रस्तावित कार्ययोजना

1. मेड़ बंधान

क्रम संख्या	प्रस्तावित हितग्राही का नाम	पिता का नाम	प्रस्तावित कार्य	योजना के साथ जुड़ाव
काम्हर				
1	गोमा	सरमान	मेड़ बंधान	एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत जलग्रहण समिति द्वारा क्रियान्वयन
2	ठाकुर दास	छोटे लाल		
3	कन्हैया	मंगलिया		
4	खेमराज	सरजु		
5	दिलीप सिंह	जगपत सिंह		
6	रंजन सिंह	जगपत सिंह		
7	रज्जु	रनधा		
8	हरदया	मुकुन्द कुम्हार		
9	अरविन्द	यषवन्त		
10	यषवन्त	हरभान सिंह		
11	ज्ञानजु राजा	मलखान सिंह		
12	शंकर सिंह	मलखान सिंह		
13	शिवप्रताप	मलखान सिंह		
14	अतर बाई	सरदार सिंह		
15	फेरन	मोहन लाल		
16	चन्द्रपाल	सरदार सिंह		

पठारी				
17	पंचुआ	रूपा	मेड़ बंधान	एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत जलग्रहण समिति द्वारा क्रियान्वयन
18	राममूर्ति	श्रीनाम		
19	हरभान	लखपत		
20	रंजन सिंह	जगत सिंह		
21	जगदीश	रनधीर		
22	ऊदल	धोकल सिंह		
23	इन्द्रकुंवर	राम सिंह		
24	सामन्त सिंह	राम सिंह		
25	लालाराम	शालिकराम		
26	किशोरी	रम्पा		
27	मनमोहन दास			
28	विधा बाई	प्रतिपाल सिंह		
29	ज्ञानजु	भान सिंह		
30	रामस्वरूप	कामता		

2. स्टेगार्ड एवं कन्टूर निर्माण

क्रम संख्या	प्रस्तावित कार्य का नाम	प्रस्तावित स्थल	योजना के साथ जुड़ाव
1	कन्टूर ट्रेन्च	खाती बाबा पहाडी पर	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की उपयोजन भूमि षिल्प के साथ जोड़कर प्रस्तावित कार्य को संपादित कराना।
2	कैटल प्रोटेक्षन ट्रेन्च	खाती बाबा पहाड़ी के चारो ओर	

3. जल संरक्षण एवं संवर्धन संरचनाओं का निर्माण

क्रम संख्या	प्रस्तावित कार्य का नाम	प्रस्तावित स्थल	कार्य की अनुमानित लागत (लाख रू. मे)	योजना के साथ जुड़ाव
		काम्हर		
1	बेस्ट वियर निर्माण	चन्द्रपाल सिंह के जमीन पर	1.65	एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत जलग्रहण समिति के माध्यम से प्रसतावित कार्य का क्रियान्वयन।
2	बेस्ट वियर निर्माण	शंकर सिंह के जमीन पर	2.02	
3	बेस्ट वियर निर्माण	हिरेन्द्र सिंह के जमीन पर	1.51	
4	बेस्ट वियर निर्माण	अरविन्द सिंह के जमीन पर	1.61	
5	खेत तालाब	भास्कर के खेत पर	0.35	
6	कुप निर्माण	शालिकराम/रधु	2.00	महात्मा गॉधी रोजगार गारन्टी योजना की उपयोजना कपिलधारा के अन्तर्गत
7	बेस्ट वीयर	कैलाष प्रजापति के खेत के पास	1.50	
8	बेस्ट वीयर	वंशकार के खेत के पास	3.00	
		पठारी		
9	स्टॉप डेम	जगदीष सिंह के जमीन के पास	3.80	एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन काय्रक्रम के अन्तर्गत जलग्रहण समिति के माध्यम से प्रसतावित कार्य का क्रियान्वयन।
10	स्टॉप डेम	अयोध्या कुषवाहा के जमीन के पास	3.32	
11	स्टॉप डेम	रामस्वरूप के खेत के पास	5.00	
12	बेस्ट वीयर	बलवीर सिंह के जमीन के पास	1.46	
13	कुप निर्माण	पर्वत/कुंजी	2.00	महात्मा गॉधी रोजगार गारन्टी योजना की उपयोजना कपिलधारा के अन्तर्गत
14	कुप निर्माण	श्यामलाल/खुरई	2.00	
15	कुप निर्माण	मुन्नी/प्रताप सिंह	2.00	
16	कुप निर्माण	बैजनाथ/मन्नु कुषवाहा	2.00	
17	कुप निर्माण	हरदास/जंगल	2.00	

3. वृक्षारोपण

क्रम संख्या	प्रस्तावित कार्य का नाम	प्रस्तावित स्थल	कार्य की अनुमानित लागत	योजना के साथ जुड़ाव
1	वृक्षारोपण	खाती बाबा पहाड़ी पर	1.00 लाख	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना की वन्या उपयोजना के अन्तर्गत पंचायत के माध्यम से कार्य का क्रियान्वयन।
2	वृक्षारोपण	टौरीया पर	1.00 लाख	
3	वृक्षारोपण	हनुमान मंदीर के पास	0.50 लाख	

4. कृषि वानिकी

कम संख्या	प्रस्तावित कार्य का नाम	प्रस्तावित हितग्राही का नाम	योजना के साथ जुड़ाव
1	कृषि वानिकी	गोविन्द सिंह कुषवाहा	उधानिकी विभाग/कृषि विभाग की योजनाओं से जोड़ना।
2		जय कुषवाहा	
3		शिवप्रताप सिंह	
4		कुलदीप सिंह	
5		अमर सिंह जाटव	
6		कैलाष अहिरवार	
7		विजय सिंह	
8		किशनपाल सिंह	
9		कोमल अहिरवार	

कृषि

पठारी एवं नौनेर की लगभग 85% आबादी की जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि एवं कृषि आधारित मजदूरी है। ऐसा देखने मे आ रहा है कि मौसम मे अचानक हो रहे बदलावों से कृषि क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जिसके फलस्वरूप बीजों की बुवाई तथा फसलों के पकने के समय मे परिवर्तन हो रहा है जो उत्पादकता के साथ – साथ किसानों की आजीविका को भी प्रभावित कर रहा है।

बारीष मे हो रही देरी, असमय बारीष,सूखा,तापमान का अचानक बढ़ जाना आदि खेती–किसानी के नियोजन के कार्य मे नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं जिस कारण कृषि क्षेत्र काफी संवेदनषील होता जा रहा है। इस परिदृष्य मे यह आवष्यक है कि खेती–किसानी मे जलवायु अनुकूल अभ्यासों/जलवायु अनुकूल कार्ययोजना तैयार की जाए जिससे जलवायु परिवर्तन से पड़ने वाले प्रभावों को कम किया जा सके। उपरोक्त समस्याओं को देखतेहुए किसानों के साथ खेती–किसानी के मुददों पर चर्चा की गई जिसमे निम्नलिखित बिन्दू सामने आये:

क्रम संख्या	समस्यायें	वर्तमान स्थिति	उपचार
1.	चने की फसल मे उकटा बिमारी का लगना।	• देशी बीज का उपयोग (4–5 वर्ष तक)। • एक हीं खेत मे लम्बे समय से चने की खेती करना।	• प्रमाणित बीजों का उपयोग। • खेतों मे फसल परिवर्तन को बढ़ावा देना।
2.	दिन–प्रतिदिन फसल के उत्पादन मे हो रही कमी।	• किसानों के द्वारा परंपरागत कृषि अभ्यासों के द्वारा खेती किया जाना। • देशी बीज का उपयोग (4–5 वर्ष तक)। • रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक मात्रा मे उपयोग। • मृदा मे कार्बनिक तत्वों की कमी। • सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी का अभाव (फरवरी के अतिम सप्ताह से)। • फसलों के अवषेषों को खेतों मे जलाना। • पर्यावरण/मौसम अनुकूल कृषिगत अभ्यासों का अभाव। • असमय मौसम मे हो रहे परिवर्तन।	• मिटट्री का परीक्षण। • फसलों के अवषेषों को खेतों मे जुताई करने हेतु किसानों को जागरूक करना। • जैविक खाद बनाने एवं प्रयोग हेतु जागरूक करना। • खरीफ एवं रबी के प्रमुख फसलों के बीज को तैयार करने हेतु प्रदर्षन। • गांव के स्तर पर बीज बैंक की शुरूआत करना। • हरी खाद एवं अन्तर फसल के रूप मे दलहनी फसलों का उपयोग करने हेतु किसानों को जागरूक करना। • खरीफ एवं रबी मे कम अवधी वाले फसल की प्रजातियों को बढ़ावा देना। • फसल विविधीकरण (खरीफ– खाली खेत मे अरहर एवं रबी मे सरसों – मटर)। • कृषि वानिकी को बढ़ावा देना।

			• छोटे कृषि यंत्रों के उपयोग करने हेतु किसानों को जागरूक करना। • पनी के प्रबंधन हेतु सिंचाई की नवीनतम तकनीकों (स्प्रिकंलर,रीज एण्ड फॉरो,रेनगन आदि) को लेकर जागरूक करना।
3	नकदी फसलों की खेती नही होना।	• किसानों के द्वारा वर्ष मे मात्र दो फसल (खरीफ एवं रबी) की पैदावार ली जाती है। • नकदी फसलों के पैदावार को लेकर जागरूकता/तकनीकों का अभाव। • अन्ना प्रथा (गर्मी के दिनों मे जानवरों को खुला छोड़ना।)	• किसानों का तीसरी फसल (खरीफ मे सब्जी,मूॅग,उड़द) की फसल की पैदावार लेने हेतु प्रोत्साहित करना। • तकनीकों की जानकारी – शेडनेट,पाली हाऊस आदि को बढ़ावा देना। • सब्जी उत्पादन के सधन तकनीकों का बढ़ावा देना।

जीविकोपार्जन :

पठारी एवं काम्हर के अधिकांष परिवारों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि एवं कृषि आधारित मजदूरी है। पठारी के कुछ परिवारों के द्वारा स्वरोजगार के रूप मे किराने की दुकान,आटा चक्की आदि चलाया जाता है जबकि कुछ परिवारों के द्वारा परंपरागत व्यवसाय तथा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा मोमबत्ती बनाने का काम किया जाता है। काम्हर गांव के परिवारों के द्वारा कारीगर, सरकारी नौकरी,परंपरागत व्यवसाय तथा महिलाओं के द्वारा सिलाई तथा दोना–पत्तल बनाने का काम किया जाता है। जीविकोपार्जन के वर्तमान स्त्रोतों को जानने के उपरान्त रोजगार के संभावित वैकल्पिक अवसरों को समूदाय के साथ मिलकर जानने का प्रयास किया गया तथा तकनीक,प्र्यावरण,संसाधन एवं वृद्वि की संभावना के बिन्दुओं पर समझने का प्रयास किया गया। चर्चा के दौरान निम्न बिन्दु सामने आये :

क्रम संख्या	क्षेत्र	वर्तमान स्थिति	संभावनायें			
			तकनीक	संसाधन	प्र्यावरण	वृद्धि की संभावनायें
1.	खेती	❖ किसानों के द्वारा ——————— हेक्टेयर भूमि पर रबी तथा ——————— हेक्टेयर भूमि पर खरीफ की पैदावार ली जाती है। ❖ किसानों के द्वारा परंपरागत तरीके से खेती का कार्य किया जाता है। ❖ जमीन की उर्वरा शक्ति का नियीमत रूप से कम होना। ❖ रासायनिक उर्वरकों का अधिक मात्रा मे उपयोग। ❖ वर्ष मे 4 महीने खेतों का खाली रहना।	❖ खेती किसानी मे वैज्ञानिक पद्वतियों का उपयोग नहीं किया जाता है। ❖ नवीनतम कृषि यंत्रों एवं आधुनिक सिंचाई पद्वतियों को लेकर जानकारी की कमी। ❖ देषी बीज का उपयोग।	❖ कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता। ❖ पर्याप्त मानव संसाधन। ❖ सिंचाई हेतु अधिंकांष किसानों के खेतों पर कुओं की उपलब्धता। ❖ गांव मे 06 ट्रैक्टर एवं 01 मैजिक की उपलब्धता। ❖ गांव से 20 किलोमीटर की दुरी पर जिला मुख्यालय मे मंडी की उपलब्धता।	❖ जैविक खाद उत्पादन एवं प्रयोग को बढ़ावा देना। ❖ पर्यावरण अनुकूल कृषिगत अभ्यासो जैसे – क्रमबद्व बुवाई, सिंचाई हेतु स्प्रिंकलर, कृषि वानिकी आदि को बढ़ावा देना। ❖ फसलों के अवषेषों की खेतों मे जुताई।	❖ प्रमाणित बीजों का उपयोग। ❖ जिले स्तर पर कृषि एवं उधानिकी विभाग के साथ मिलकर खेती करने के उन्नत तरीकों को बढ़ावा देना। ❖ खरीफ एवं रबी मे कम अवधि वाली बीजों की प्रजातियों के उत्पादन को बढ़ावा देना। ❖ फसल विविधता को बढ़ावा। ❖ रबी के फसल के उपरान्त खली पड़े खेतों मे सब्जी की खेती को बढ़ावा देना। ❖ समूह आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देकर शासकीय योजनाओं के साथ उसका जुड़ाव।

2.	**झाड़ु निर्माण**	❖ गांव के लगभग 7 परिवारों की महिलाओं के द्वारा झाड़ु बनाने का काम किया जाता है। ❖ स्थानीय स्तर पर महिलाओं के द्वारा बेचा जाता है। ❖ परंपरागत कार्य महिलाओं के द्वारा कार्य किया जाता है।	❖ परंपरागत कौषल की उपलब्धता। ❖ वैल्यु एडीषन की आवष्यक्ता।	❖ स्थानीय स्तर पर कच्चे माल की उपलब्धता।	❖ पर्यावरण अनुकूल कार्य।	❖ गांव से 20 किलोमीटर पर बाजार की उपलब्धता। ❖ समूह आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिषन जैसे शासकीय योजनाओं के साथ जोड़कर रोजगार के अवसर को बढ़ावा।
3.	**दुध का व्यवसाय**	❖ गांव के लगभग 20–25 परिवारों के द्वारा डेयरी मे दूध बेचा जाता है। ❖ गर्मी के मौसम मे प्रतिदिन लगभग 50 लीटर तथा अन्य दिनों मे लगभग 100 लीटर प्रतिदिन डेयरी मे जाकर बेचा जाता था।	❖ गांव के लोगों के पास देषी नस्ल के पषुओं का होना। ❖ पषुओं को खुले मे चराना। ❖ किसानों के द्वारा हरे चारे की खेती नही की जाती है।	❖ अधिकांष परिवारों के पास पषुओं की उपलब्धता। ❖ हरे चारे की पैदावार हेतु खेतों की उपलब्धता।	❖ पर्यावरण अनुकूल कार्य।	❖ बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत देषी नस्ल के पषुओं का नस्ल सुधार। ❖ आई.जी.एफ.आर. आई के साथ जुड़कर हरे चारे की पैदावार हेतु उन्नत किस्म के बीजों की उपलब्धता। ❖ स्टॉल फिडींग की पद्वति की प्रक्रिया को बढ़ावा देना ❖ दुघ बेचने की प्रक्रिया मे शामिल परिवारों को समूह के माध्यम से संगठित शासकिय योजनाओं के साथ जोड़कर दुध उत्पादन की गतिविधि को

						बढ़ाना। ❖ मिल्क रूट के साथ जोड़ना।
4.	**लधु उघम**	❖ गांव के 12 परिवार लधु उघम के रूप मे मुर्गी पालन, किराने की दुकान,मोबाईल रिपेयरींग की दुकान तथा आटा चक्की का दुकान चलाया जाता है। ❖ लगभग 6 परिवारों की महिलाओं के द्वारा कपड़ों की सिलाई का कार्य किया जाता है जिससे उन्हें 1000–1200 रू की मासिक आमदनी होती है। ❖ जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित किये गये 2 समूहों के द्वारा दोना – पत्तल बनाने का कार्य किया जाता है।	❖ उधम कौषल का अभाव।	❖ मानव संसाधन के रूप मे युवाओं की उपलब्धता। ❖ स्थानीय बाजार की उपलब्धता। ❖ उत्पाद को बाजार तक ले जाने हेतु गांव मे ट्रैक्टर एवं अन्य वाहन की उपलब्धता।		❖ स्वयं सहायता समूहों के द्वारा बनाये जा रहे दोना – पत्तल हेतु बाजार की उपलब्धता को सुनिष्चित करवाना। ❖ पहले से चलाये जा रहे निजी व्यवसायों को विभिन्न योजनाओं से जोड़कर उन्हें सषक्त करना। ❖ गांव के लोगों द्वारा कौषल विकास एवं लधु उघम करने हेतु चिन्हित व्यक्तियों को युवा स्वरोजगार जैसे शासकीय योजनाओं से जोड़ना।

5	**कारीगरी (राजमिस्त्री)**	❖ गांव के लगभग 25 परिवारों के युवाओं के द्वारा राजमिस्त्री के रूप मे धर बनाने का काम किया जाता है। ❖ राजमिस्त्रीयों से समूह मे चर्चा करने के अनुसार उन्हे स्थानीय स्तर पर रोजगार की उपलब्धता साल मे मात्र 3 महीने रहती है।	❖ पर्यावरण अनुकूल आवास निर्माण को लेकर जानकारी एवं कौषल का अभाव।	❖ **प्रशिक्षीत मानव संसाधन।**		❖ राजमिस्त्री के रूप मे काम कर रहे कारगरों को समूह के रूप मे संगठीत कर उन्हे मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत बनाये जा रहे धरों के डिजाईन पर उन्हें प्रषिक्षीत करना। ❖ कारीगरों को छोटे – छोटे समूहों मे संगठीत कर उन्हें लधु उघमों (आवास निर्माण) से जोड़ना। ❖ जिला प्रषासन के साथ मिलकर पंचायतों के स्तर पर इनाई जाने वाली अधोसंचनाओं के निर्माण मे उनकी भागीदारी को बढ़ाना।

प्रस्तावित आजीविका गतिविधियॉ

1. सब्जी की खेती

क्रम संख्या	व्यक्ति का नाम	प्रस्तावित गतिविधी	विभागीय योजना के साथ जुड़ाव	योजना के अन्तर्गत सहयोग का प्रकार
1	अमर सिंह	**सब्जी की खेती**	उधानिकी विभाग/	युवा स्वरोजगार योजना से जोड़कर प्रस्तावित आजीविका गतिविधी की शुरूआत करना।
2	गोविन्द सिंह			
3	कैलाष अहिरवार			
4	रामगोपाल अहिरवार			

2. उधानिकी

क्रम संख्या	व्यक्ति का नाम	प्रस्तावित गतिविधी	विभागीय योजना के साथ जुड़ाव	योजना के अन्तर्गत सहयोग का प्रकार
1	विजय राम	उघानिकी		
2	अरूण सिंह			

3. बकरी पालन

क्रम संख्या	व्यक्ति का नाम	प्रस्तावित गतिविधी	विभागीय योजना के साथ जुड़ाव	योजना के अन्तर्गत सहयोग का प्रकार
1	सुरज सिंह	बकरी पालन	उधोग विभाग	युवा स्वरोजगार से जोड़कर प्रति हितग्राही कम से कम 50000 रू तक की आर्थिक सहायता प्रदान करना।
2	कैलाष पाल			

क्रम संख्या	व्यक्ति का नाम	प्रस्तावित गतिविधी	विभागीय योजना के साथ जुड़ाव	योजना के अन्तर्गत सहयोग का प्रकार
1	राजकुमारी	बकरी पालन	• महिलाओं को समूह से जोडना। • समूह के रूप मे संगठीत करने के उपरान्त राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिषन से जोड़ना।	राष्ट्रीय ग्रामीण आजिवीका मिषन से जोड़कर जीविकोपार्जन गतिविधि की शुरूआत करना।
2	लीला			
3	सुमित्रा			
4	ममता			
5	सपना			
6	सुखदेवी			

4. अन्य आजीविका गतिविधियॉ

क्रम संख्या	व्यक्ति का नाम	प्रस्तावित गतिविधी	विभागीय योजना के साथ जुड़ाव	योजना के अन्तर्गत सहयोग का प्रकार
1	रामकिशन	मोबाईल रिपेयरिंग	उधोग विभाग	युवा स्वरोजगार के अन्तर्गत प्रति हितग्राही कम से कम 50000 रू की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।
2	कमल सिंह	टु–व्हीलर मैकेनिक		
3	सरनाम अहि.	ड्राईवर		
4	देवी लाल	मुर्गीपालन		
5	भूरापाल	सीमेन्ट टंकी निर्माण		
6	राधवेन्द्र	स्पेलर		

5. सिलाई एवं कढ़ाई

क्रम संख्या	व्यक्ति का नाम	प्रस्तावित गतिविधी	विभागीय योजना के साथ जुड़ाव	योजना के अन्तर्गत सहयोग का प्रकार
1	चन्दा	सिलाई एवं कढ़ाई	आर.सेटी से प्रषिक्षण	शासकीय योजनाओं/ बैक से जोड़कर आजीविका विकास हेतु सहायता उपलब्ध कराना।
2	बबीता			
3	मालती			
4	सुशीला			
5	उत्तरा			

6. कौषल विकास

क्रम संख्या	व्यक्ति का नाम	प्रस्तावित गतिविधी	विभागीय योजना के साथ जुड़ाव	योजना के अन्तर्गत सहयोग का प्रकार
1	कन्हू अहिरवार	• कम लागत वाली तथा पर्यावरण मैत्री धर बनाने वाली कनीकों को लेकर कौषल विकास।	मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिषन के अन्तर्गत कारीगरों को जोड़कर आवास बनावाना।	मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिषन के अन्तर्गत कारीगरों को नियमीत रूप से निर्माण कार्य उपलब्ध कराना।
2	हरीराम अहिरवार			
3	आशाराम अहिरवार			
4	श्रवण अहिरवार			
5	कैलाष अहिरवार			
6	भुन्नी अहिरवार			
7	नारायण अहिरवार			
8	देवी दयाल अहिरवार			

9	बलवीर अहिरवार	• कारीगरों को समूह के रूप मे संगठित कर उनका पंजीकरण। • शासकीय योजनाओं से जुड़ाव।		
10	रवि अहिरवार			
11	ठाकुर दास अहिरवार			
12	जार सिंह पाल			
13	शोभरन अहिरवार			
14	कोमल अहिरवार			
15	हन्नु अहिरवार			
16	इमरत अहिरवार			
17	मनीराम अहिरवार			
18	अच्छेलाल अहिरवार			
19	रामकुमार अहिरवार			
20	कल्लन अहिरवार			
21	प्रभुदयाल अहिरवार			
22	विमल अहिरवार			
23	मंशाराम अहिरवार			
24	कल्याण सिंह अहि.			
25	काशीराम अहिरवार			
26	अमर सिंह जाटव			

डेयरी गतिविधी

क्रम संख्या	व्यक्ति का नाम	प्रस्तावित गतिविधी	विभागीय योजना के साथ जुड़ाव	योजना के अन्तर्गत सहयोग का प्रकार
1	बृजलाल पाल	डेयरी गतिविधी	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिषन के साथ जोड़कर प्रस्तावित आजीविका गतिविधि का विकास	❖ प्रस्तावित गतिविधि हेतु चयनित व्यक्तियों को समूह के माध्यम से संगठित कर वित्तीय सहयोग प्रदान करना। ❖ मिल्क रूट की पहचान कर उससे जोड़ना।
2	किशन लाल प्रजा.			
3	बादाम प्रजापति			
4	हरनाम			
5	रामदास कुषवाहा			
6	जरदान पाल			
7	षिवप्रताप सिंह			
8	कुलदीप सिंह			
9	सुरेन्द्र सिंह परमार			

10	नवल पाल			
11	बटौले पाल			
12	राज पाल			
13	राम गोपाल			
14	नीरू			

पेयजल एवं स्वच्छता

गांव के अधिकांष परिवारों के द्वारा खुले मे शौच किया जाता है। हैण्डपम्प के पास प्लेटफार्म एवं सोख्ता गढ़ढ़ों का निर्माण किया गया था लेकिन वर्तमान मे कोई भी हैण्डपम्प पर पानी निकासी की उचित व्यवस्था नही हैं। धरों से बेकार बहने वाले पानी के प्रबंधन को लेकर पूर्व मे परहीत समाज सेवी संस्था के द्वारा वाटर एड के सहयोग से सोख्ता गढ़ढ़ों का निर्माण किया गया था लेकिन वर्तमान मे एक भी सोख्ता गढ़ढ़ा सही तरीके से काम नही कर रहा है। पेयजल हेतु गांव के लोगों के द्वारा नल – जल का उपयोग किया जाता है। गांव के लोगों से चर्चा करने के अनुसार हैण्डपम्पों के पेयजल की गुणवत्ता मे भी बदलाव आ रहा है। कचरा प्रबंधन को लेकर गांव मे कोई व्यवस्था नही है तथा लोगों के द्वारा खुले मे कचरा फेका जाता है।

बदलते मौसम,वर्षा मे होने वाली अनियमीतता, तापमान मे वृद्वि एवं सुखे जैसी स्थितियों मे स्वास्थय और स्वच्छता का खास ध्यान देना चाहिए। मौसम मे हो रहे बदलावों के फलस्वरूप जलवायु मे होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली बिमारीयों के कारण स्वास्थय जैसे मुददों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इन स्थितियो मे विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थय मे ध्यान रखने की आवश्यक्ता है। इस स्थिति मे यह आवश्यक है कि गांव/पंचायत के स्तर पर तैयार की जा रही जलवायु अनुकूल कार्ययोजना मे पेयजल एवं स्वच्छता जैसे मुददों को भी शामिल किया जाना चाहिए। गांव के लोगों से की गई चर्चा के दौरान निम्न बिन्दु सामने आये :

क्रम संख्या	क्षेत्र	वर्तमान स्थिति	उपचार
1	**गन्दे पानी की निकासी**	• धर से बेकार बहकर आने वाली पानी के उचित निपटान की व्यवस्था का अभाव। • पानी की निकासी हेतु बनाई गई नालियों को बन्द कर देना या उसकी सफाई नहीं करना।	• धर से बेकार बहकर जाने वाली पानी के उचित निपटान हेतु धर –धर सोख्ता गढ़ढ़ों का निर्माण करना। • बन्द पड़ी नालियों की समूदाय द्वारा सफाई करवाना। • गांव की गलियों मे नालीयों की सफाई करवाना।

2	**खुले मे शौच करना।**	• गांव के लगभग 85 प्रतिषत परिवारों के द्वारा खुले मे शौच किया जाता है।	• व्यक्तिगत शौचालय बनाने हेतु लोगों को जागरूक करना। • शासकीय योजना (मर्यादा अभियान एवं महात्मा गांधी रोजगार गारन्टी योजना) के साथ जोड़कर व्यक्तिगत परिवारों मे शौचलय का निर्माण।
3	**पीने का साफ पानी**	• पेयजल हेतु नल –जल एवं हैण्डपम्प का उपयोग किया जाता है। • पेयजल के स्त्रोत के पास बेकार बहकर जाने वाले पानी की उचित निकासी का अभाव। • हैण्डपम्प के पास बेकार पानी का इकटठा होना। • पानी की गुणव्ता मे दिन प्रतिदिन खराबी आना।	• पेयजल के स्त्रोतों का उचित रख–रखाव। • पेयजल के स्त्रोतों के पास सोख्ता गढढों का निर्माण कराना तथा पूर्व मे निर्मीत सोख्ता गढढों की समूदाय के द्वारा साफ–सफाई। • पानी की गुणवत्ता की जांच कराना।
4	**गॉव की साफ – सफाई**	• गांव मे खुले मे कुड़ा डालना। • हैण्डपम्प के पास स्नान करना तथा कपड़ा धोना। • मरे हुए पषुओं को खुले मे डालना।	• कचड़ा प्रबंधन हेतु गांव मे अलग – अलग जगहों पर पंचायत एवं समूदाय के सहयोग से नाडेप का निर्माण। • हैण्डपम्प के पास स्नान एवं कपड़ा नहीं धोने हेतु समूदाय को जागरूक करना। • समूदाय के स्तर पर समूहों का गठन कर हैण्डपम्प के पास नहाने एवं कपड़ा नहीं धोने हेतु नियम बनाना। • मरे हुए पशुओं के उचित निपटान हेतु गांव के स्तर पर लोगों को जागरूक करना तथा सामूदायिक जगह का चयन करना। • दुसरे गांव के मरे हुए पशुओं को गांव मे लाकर छोड़ देने वालों पर पंचायत/गांव के माध्यम से कार्यवाही करना।

1. **शौचालय निर्माण**

क्रम संख्या	प्रस्तावित कार्य का नाम	विभागीय योजना के साथ जुड़ाव	योजना के अन्तर्गत सहयोग का प्रकार
1	शौचालय निर्माण	निर्मल भारत अभियान एवं महात्मा गांधी रोजगार गारन्टी योजना के साथ जोड़कर ग्राम काम्हर एवं पठारी मे व्यक्तिगत परिवारों मे शौचालय निर्माण।	महात्मा गांधी रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत प्रति हितग्राही 4600 रू तथा निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत प्रति हितग्राही 5100 रू की सहयोग राषि प्रदान की जाएगी। इसके अन्तर्गत हितग्राही का अंषदान 900 रू का होगा।

नाली निर्माण

क्रम संख्या	प्रस्तावति कार्य का नाम	प्रस्तावित स्थल	कार्य की अनुमानित लागत (लाख रू मे)	विभागीय योजना के साथ जुड़ाव
1	नाली निर्माण (काम्हर)	धनष्याम के धर रामस्वरूप अहिरवार के धर तक	2.00	महात्मा गांधी रोजगार गारन्टी योजना के साथ जोड़कर
2	नाली निर्माण (पठारी)	विभिन्न गलियों मे रोड किनारे नाली निर्माण	2.00	

3. नाडेप निर्माण

क्रम संख्या	प्रस्तावित कार्य	प्रस्तावित स्थल / हितग्राही	अनुमानित लागत (लाख रू मे)	योजना के साथ जुड़ाव
1	नाडेप निर्माण	शंकर सिह के जमीन के पास	0.05 लाख	कृषि विभाग एवं पंचायत के साथ जुड़कर नोडेप का निर्माण।
2	नाडेप निर्माण	बादाम प्रजापति के जमीन के पास	0.05 लाख	
3	नाडेप निर्माण	आंगनबाड़ी हैण्डपम्प के पास	0.05 लाख	
4	नाडेप निर्माण	रामस्वरूप के मकान के पास	0.05 लाख	
5	नाडेप निर्माण	कुशवाहा,अहिरवार,एवं वंषकार मोहल्ला मे	0.05 लाख	
व्यक्तिगत				

6	किसानों के व्यक्तिगत भूमि पर नाडेप निर्माण।	कुलदीप सिंह परमार	प्रति हितग्राही 2500 रू लगभग।	कृषि एवं उधानिकी विभाग के साथ जोड़कर प्रस्तावित किसानों के खेतों पर नाडेप का निर्माण करवाना।
7		अमर सिंह जाटव		
8		हनु राम		
9		अमर सिंह कुषवाहा		
10		दयाराम		
11		विजय सिंह कुषवाहा		
12		लक्ष्मण कुषवाहा		
13		मोहन लाल		
14		रामचरण अहिरवार		
15		नरेन्द्र सिंह परमार		
16		भईयन		
17		जयराम कुषवाहा		
18		दयाराम अहिरवार		
19		किशन पाल सिंह		
20		पप्पु पाल		
21		अरविन्द सिंह		
22		फेरन पाल		
23		शिवप्रताप सिंह परमार		

2. हैण्डपम्प की साफ – सफाई

क्रम संख्या	प्रस्तावित कार्य	जिम्मेवार व्यक्ति/संस्था	सहयोग
1	हैण्डपम्प की साफ –सफाई – प्राथमिक विधालय	पंचायत	पंच परमेष्वर योजना के अन्तर्गत पंचायत के द्वारा भी सहयोग प्रदान किया जाएगा।
2	हैण्डपम्प की साफ –सफाई – हरनाम सिंह के धर के पास	सोबरन, मंषाराम	
3	हैण्डपम्प की साफ –सफाई – शंकर जी मंदीर के पास	अमर सिंह कुषवाहा, राधवेन्द्र,महेष कुषवाहा	
4	हैण्डपम्प की साफ –सफाई – शालिक राम कुषवाहा के पास	जितेन्द्र कुषवाहा	
5	हैण्डपम्प की साफ –सफाई – राधवेन्द्र के मकान के पास	राधवेन्द्र,राणु	

अन्य मुददे : चिन्हीत की गई समस्याओं के कलस्टीकरण के दौरान गांव की विभीन्न गलीयों मे सी.सी.रोड का निर्माण, विधालयों मे बाऊण्ड्री वाल का निर्माण तथा सामूदायिक भवन का निर्माण के कार्य को अन्य

मुददों मे शामील किया गया। इन समस्याओं का चिन्हीत करते समय गांव के लोगों के द्वारा यह तर्क दिया गया कि गांव के विकास के लिए इन कार्यो की भी आवष्यक्ता है। चर्चा के दौरान चिन्हीत किये मुददे तालिका मे निम्नलिखित हैं :

कम संख्या	प्रस्तावित जगह	कार्य की अनुमानित लागत	शासकीय योजनाओं के साथ जुड़ाव
काम्हर			
1	सी.सी.रोड. – धनष्याम पाल के धर से प्राथमिक विधालय तक (लगभग 180मीटर)	**2.50 लाख**	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत पंचायत के माध्यम से
2	सी.सी.रोड – बन्टू पाल के धर से प्राथमिक विधालय तक (लगभग 250 मीटर)	**3.25 लाख**	
3	सी.सी.रोड – बन्टू पाल के धर से प्राथमिक विधालय तक (लगभग 270 मीटर)	**3.50 लाख**	
पठारी			
4	सी.सी.रोड – चक्की के धर से शान्तिधाम की ओर (लगभग 200 मीटर)	**3.00 लाख**	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत पंचायत के माध्यम से
रपटा निर्माण			
5	शामू धाट पर	5.00 लाख	महात्मा गांधी रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत पंचायत के सहयोग से।
6	गढ़िया धाट पर	5.00 लाख	
बाउण्ड्री वाल का निर्माण			
7	प्राथमिक विधालय मे बाउण्ड्री वाल (काम्हर)	5.00 लाख	शिक्षा विभाग के द्वारा
8	माध्यमिक विधालय मे बाउण्ड्री वाल (पठारी)	5.00 लाख	
सामुदायिक भवन का निर्माण			
9	सामुदायिक भवन का निर्माण	5.00 लाख	